(6)

उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग--3

संख्या बी-3-4989/दस-92--20 (9)-92

लखनऊ, दिनांक 23 नवम्बर, 1992

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-3-2405/दस-84--1 (11)-79-भवन, दिनांक 31 मई, 1984 द्वारा राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण /क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम की स्वीकृति हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के नियम 244 (एल) में उल्लिखित "प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त" सिद्धान्त के शिथिलीकरण के अधिकार कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित किये गये हैं जो उक्त संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप में अपेक्षित शर्तों की पूर्ति सुनिश्चित करने के बाद वित्तीय मंत्री के अनुमोदन से आदेश जारी कर सकता हैं। आदेश जारी करने के पूर्व उक्त कार्यालय-ज्ञाप में अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही प्रशासकीय विभाग द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जाना होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में स्वीकृति हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है किन्तु यह तथ्य जानकारी में आया है कि भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृति हेतु अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति तथा पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना ही प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्त नियम के शिथिलीकरण हेतु आदेश जारी किये गये हैं, जिसका परिणाम यह हुआ है कि स्वीकृत अधिकारियों के कार्यालयों में भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत हेतु शासन से प्राथमिकता प्राप्त प्रकरणों की एक लम्बी सूची लम्बित हो गई है जिसमें कुछ प्रकरण वर्ष 1988-89 से भी लम्बित हैं। कतिपय प्रकरणों में प्राथमिकता प्राप्त कर्मचारियों को इस कारण अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति नहीं की गई। कर्मचारी द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति के प्रति उदासीन रहना उसकी तुरन्त वास्तविक आवश्यकता पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। शासन से प्राथमिकता प्राप्त प्रकरणों के लिये स्वीकृति अधिकारियों द्वारा प्रायः पृथक से अतिरिक्त धनराशि आवंटित किये जाने का अनुरोध किया जाता है जो अक्सर सम्भव नहीं हो पाता। यदि प्रशासकीय विभागों द्वारा उक्त कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-5-84 की अपेक्षानुसार धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने के बाद उक्त नियम के शिथिलीकरण के आदेश जारी किये गये होते तो प्रश्नगत विभागों को पृथक अतिरिक्त धनराशि आवंटित किये जाने की आवश्यकता न उत्पन्न हुई होती। प्राथमिकता प्राप्त हो जाने पर भी यदि संबंधित कर्मचारी को अग्रिम स्वीकृति में विलम्ब होता है तो जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्राथमिकता प्रदान की गई है वे विफल हो जाते हैं। अतः अनुरोध है कि भविष्य में अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति एवं स्वीकृति हेतु पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित किये बिना उक्त नियम के शिथिलीकरण हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा आदेश जारी न किये जाया करें क्योंकि यह संदर्भित कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 31-5-84 का स्पष्ट उल्लंघन है।

2--इस सम्बन्ध में राज्यपाल महोदय ने यह आदेश भी दिये हैं कि राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय/मरम्मत/विस्तार अग्रिम की स्वीकृति हेतु प्रशासकीय विभागों द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के नियम 244 (एल) में उल्लिखित "प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त" सिद्धान्त के शिथिलीकरण के जो आदेश भविष्य में जारी किये जायेंगे, उनके प्रभावी रहने की समयावधि उस वित्तीय वर्ष, जिसमें शिथिलीकरण के आदेश जारी किये जायं, के अन्त तक ही सीमित रहेगी। शिथिलीकरण के आदेश में कृपया उक्त तथ्य का स्पष्ट उल्लेख कर दिया जाय। पूर्व में उक्त नियम के शिथिलीकरण के जो आदेश जारी किये जा चुके हैं, उनके प्रभावी रहने की अवधि भी चालू वित्तीय वर्ष (1992-93) के अन्त तक ही सीमित रहेगी।

3--कार्यालय-ज्ञाप संख्या बी-3-2405/दस-84--1 (11)-79-भवन, दिनांक 31 मई, 1984 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

4--उक्त संशोधन इस कार्यालय-ज्ञाप के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगा। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के आवश्यक संशोधन की कार्यवाही अलग से की जायगी।

सचिवालय के समस्त अनुभाग

इन्द्र कुमार पाण्डे,
वित्त सचिव,
(वित्त आयोग)।

संख्या बी-3-4989](1)/दस-92--20 (9)-92, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--समस्त विभागाध्यक्ष/जिला जज एवं सब न्यायाधीश/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2--महालेखाकार, लेखा, प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3--विधान सभा सचिवालय एवं विधान परिषद् सचिवालय।
4--राज्यपाल सचिवालय।
5--वित्त (लेखा) अनुभाग-1 को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 म आवश्यक संशोधन हेतु।
6--निबन्धक, उच्च-न्यायालय, इलाहाबाद।
7--वित्त (नियम कोष्ठक) अनुभाग ( ) दो प्रतियों में।

आज्ञा से,
उमेश प्रसाद श्रीवास्तव,
बजट अधिकारी।

पी० एस० यू० पी०--ए० पी० 100 सा० वित्त--8-12-92--(2210)--1992-12,000 (हि०)।